Notifications under AFSPA, 1958 in the State of Meghalaya.	
S.No.	**Notification & date**
1.	S.O.603 (E) dated 17.09.1991
2.	S.O.646(E) dated 04.05.2006
3.	S.O.1941(E) dated 10.11.2006
4.	S.O.717(E) dated 04.05.2007
5.	S.O.1878(E) dated 04.11.2007
6.	S.O.1082(E) dated 04.05.2008
7.	S.O.2594(E) dated 04.11.2008
8.	S.O.1146(E) dated 04.05.2009
9.	S.O.2824(E) dated 04.11.2009
10.	S.O.2707(E) dated 04.11.2010
11.	S.O.2506(E) dated 04.11.2011
12.	S.O.2674(E) dated 04.11.2012
13.	S.O.3321(E) dated 04.11.2013
14.	S.O.2818(E) dated 04.11.2014
15.	S.O.3010(E) dated 04.11.2015
16.	S.O.3382(E) dated 04.11.2016
17.	S.O.1403(E) dated 04.05.2017
18.	S.O. 2467 (E) dated 04.08.2017
19.	S.O.3209(E) dated 01.10.2017

IndiaCode

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 1991/भाद्र 26, 1913
No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 1991/BHADRA 26, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1991

का.आ. 603 (अ) :—यत केन्द्रीय सरकार की यह मत है कि नीचे अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में ऐसी अशांत और भयानक स्थिति हो गई है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है;

अतः, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

(1) अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मेघालय राज्यों की असम राज्य के साथ लगी सीमा की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी,

(2) अरुणाचल प्रदेश के तिरप तथा चांगलांग जिले,

(3) नागालैण्ड का मोन जिला ।

[फा.सं. 11011/111/90-एन.ई.-4]
विनय शंकर, संयक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1991

S.O. 603 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the areas described in the schedule herebelow are in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary ·

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958), the Central Government hereby declares the whole of the said areas to be a disturbed area.

SCHEDULE

(i) A 20 Kilometre wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their borders with the State of Assam.

(ii) Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh.

(iii) Mon district of Nagaland.

[F. No. 11011|111|90-NE. IV]
VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2006/वैशाख 14, 1928
No. 445] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2006/VAISAKHA 14, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2006

का.आ. 646(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की अन्तिम बार समीक्षा 3 नवम्बर, 2005 को की गई थी जिसके आधार पर असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 4 मई, 2006 तक बढ़ा दिया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैण्ड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :—

(i) असम राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की बड़ी संख्या में हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है। अन्य विद्रोही गुट अर्थात् नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दा ओगाह (डीएचडी) भी असम राज्य में सक्रिय है;

(ii) यतः, उल्फा तथा एन डी एफ बी प्रभुसत्ता की मांग कर रहे हैं, यूनाइटिड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी (यूपीडीएम) तथा डी एच डी पृथक राज्यों की मांग कर रहे हैं। केएलएनएलएफ की मांग में भी अलगाव के स्वर हैं;

(iii) उपर्युक्त गुटों में से कुछ का सशस्त्र संघर्ष में विश्वास बना हुआ है और उनमें से अधिकांश आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अव्यवस्थित करने तथा लोगों से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसक कार्यों में लिप्त हैं;

(iv) असम की सीमा से लगे राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड की 20 किमी. चौड़ी पट्टी में विद्रोही गुटों जैसे उल्फा, एन डी एफ बी नेशलन सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुट, पीपुल्स लिबरेशन ऑफ (पीएलए), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी), अचिक नैशनल वॉलंटीयर काउंसिल (एएनवीसी), हाइनीड्रॅफ नैशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) आदि की हिंसक गतिविधियां जारी हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैण्ड राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अन्तर्गत और छः महीने के लिए अर्थात् 4-11-2006 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2006

S.O. 646(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990;

And, whereas, the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland, along their border with the State of Assam as 'disturbed area';

And, whereas, the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas;

And, whereas, the last review of law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas was conducted on the 3rd November, 2005 on the basis of which the period during which the State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall be 'disturbed area' was extended up to 4th May, 2006;

And, whereas, a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam indicates the following :—

(i) the law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam;

(ii) while the ULFA and the NDFB have been demanding sovereignty, the United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) and the DHD are demanding separte States. The demand of the KLNLF also has secessionist overtones;

(iii) some of the above mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and to extort money from the people;

(iv) in the 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam the violent activities of insurgent outfits such as the ULFA, the NDFB, the two factions of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), the People's Liberation Army (PLA), National Liberation Front of Tripura (NLFT), Achik National Volunteer Council (ANVC), Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) etc. continue.

Now, therefore, the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall continue to be "disturbed area" under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a further period of six months, *i.e.*, up to 4-11-2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1350] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2006/कार्तिक 19, 1928
No. 1350] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2006/KARTIKA 19, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2006

का.आ. 1941(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैंड राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:-

(i) असम राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) की बड़ी संख्या में हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है। अन्य विद्रोही गुट अर्थात् नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोरोलैंड (एनडीएफबी), कर्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दा ओगाह (डी एच डी) भी असम राज्य में सक्रिय हैं;

(ii) यतः, उल्फा तथा एनडीएफबी प्रभुसत्ता की मांग कर रहे हैं, यूनाइटिड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी (यूपीडीएम) तथा डीएचडी पृथक राज्यों की मांग कर रहे हैं। केएलएनएलएफ की मांग में भी अलगाव के स्वर हैं;

(iii) उपर्युक्त गुटों में से कुछ का सशस्त्र संघर्ष में विश्वास बना हुआ है और उनमें से अधिकांश आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अव्यवस्थित करने तथा लोगों से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसक कार्यों में लिप्त हैं;

(iv) असम की सीमा से लगे राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड की 20 किमी. चौड़ी पट्टी में विद्रोही गुटों जैसे उल्फा, एनडीएफबी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के दो गुट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी), अचिक नेशनल वॉलंटीयर काउंसिल (एएनवीसी), हन्नीवट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) आदि की हिंसक गतिविधियां जारी हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.5.2007 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2006

S.O. 1941(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E) dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland, along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam indicates the following;-

i) The law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation front of Asom (ULFA) . Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam.

ii) While the ULFA and the NDFB have been demanding sovereignty, the United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) and the DHD are demanding separate States. The demands of the KLNLF also has secessionist overtones.

iii) Some of the above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and to extort money from people.

iv) In the 20 Kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Megahalaya and Nagaland bordering Assam the violent activities of insurgent outfits such as the ULFA, the NDFB, the two factions of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), the People's Liberaton Army (PLA), National Liberation Front of Tripura (NLFT), Achik National Volunteer council (ANVC), Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) etc. continue.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.5.2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2007/वैशाख 14, 1929
No. 526] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2007/VAISAKHA 14, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2007

का.आ. 717(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 किमी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

(i) असम राज्य में, हेलाकण्डी एवं करीमगंज जिलों को छोड़कर, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यतः यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), दीमा हलाम दाओगाह (डीएचडी) और डीएचडी के जोयल गारलोसा गुट की हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है।

(ii) असम में नवंबर, 2006 और 31 मार्च, 2007 के बीच हुई 238 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 12 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 156 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।

(iii) असम की सीमा से लगी अरूणाचल प्रदेश की 20 कि.मी. पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश और असम में सक्रिय विभिन्न भूमिगत गुटों की हिंसक गतिविधियों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है। उल्फा भी इस क्षेत्र का प्रयोग अपने छुपने के अड्डे बनाने के लिए कर रहा है। सुरक्षा बलों ने उल्फा के काडरों को मार गिराने और उनकी गिरफ्तारी करने के अलावा इस क्षेत्र में कई परित्यक्त शिविरों का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुट और एनडीएफबी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और जबरन धन वसूली करके निधियों को एकत्र कर रहे हैं।

(iv) असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ोसी देशों से/को घुसपैठ /बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स पट्टी से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ उनके आश्रय स्थल हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 किमी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.11.2007 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए ।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2007

S.O. 717(E).— Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas failing within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya, along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam except Hailakandi and Karimganj districts has remained vitiated mainly due to violent activities of the United Liberation front of Asom (ULFA). National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Dima Halam Daogah (DHD) and Joel Garlosa faction of DHD.

ii) Between November 2006 and upto 31st March 2007, as many as 156 persons including 12 Security Force personnel were killed by the Under Ground outfits in 238 incidents of violence in Assam.

iii) The areas falling in 20 Km belt inside Arunachal Pradesh bordering Assam has witnessed deterioration in law & order situation due to violent activities of different Under Grounds outfits operating in Arunachal Pradesh and Assam. This area is also used by ULFA for establishing hideouts. Security Forces have unearthed many abandoned camps of ULFA in this area besides killing and arresting its cadres. In addition, the two factions of National Socialist Council of Nagaland(NSCN) and NDFB are active in this area and have been accumulating funds through extortions.

iv) The 20 Kms wide belt in the State of Megahalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills belt. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the States of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.11.2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 4, 2007/कार्तिक 13, 1929
No. 1357] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 4, 2007/KARTIKA 13, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2007

का.आ. 1878(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां), अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27 नवम्बर, 1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27 नवम्बर 1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और यत: वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथ पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और यत:, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यत: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), की अनेक हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है । आई ई डी का प्रयोग उल्फा की हिंसा की प्रमुख विशेषता रही है। अन्य विद्रोही संगठन, नामत: नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह (डी एच डी) भी असम राज्य में सक्रिय हैं ।

(ii) वर्ष 2007 के दौरान (30 सितम्बर, 2007 तक) असम में हुई हिंसा की 387 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 16 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 255 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं ।

(iii) उपर्युक्त उल्लिखित गुटों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा इनमें से अधिकांश गुट आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में लिप्त हैं ।

(iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विशेष रूप से तीरप, चांगलोंग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग तथा निचले दिबांग घाटी जिलों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है । एन एस सी एन के दो गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली में लिप्त हैं ।

(v) असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ोसी देशों से/को घुसपैठ/बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स पट्टी से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है । यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहाँ उनके आश्रय स्थल हैं ।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4-5-2008 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए ।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4 November, 2007

S.O. 1878(E).—Whereas, the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27th November, 1990 *vide* Notification S.O. 916 (E) dated 27th November, 1990.

And, whereas, the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And, whereas, the period during which the State of Assam and areas falling within 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And, whereas, a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

(i) The law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front of Asom (ULFA). The use of IEDs has been the significant feature of ULFA violence. Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam.

(ii) During 2007 (upto 30th September, 2007) as many as 255 persons including 16 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 387 incidents of violence in Assam.

(iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from people.

(iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations and Security Forces, particularly in the districts of Tirap, Changlong, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The two factions of NSCN are involved in extortion activities in Assam-Arunachal Pradesh border areas.

(v) The 20 Kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills belt. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4-5-2008 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606] नई दिल्ली, रविवार, मई 4, 2008/वैशाख 14, 1930
No. 606] NEW DELHI, SUNDAY, MAY 4, 2008/VAISAKHA 14, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2008

का.आ. 1082(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यत:, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यत:, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यत:, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:—

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मुख्यत: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), की अनेक हिंसक गतिविधियों के कारण बिगड़ी रही है। अन्य विद्रोही संगठन, नामत: नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एनडीएफबी), कर्बो लोंगरी एन सी हिल्स लिबरेशन फ्रंट (केएलएनएलएफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह (डी एच डी) भी असम राज्य में सक्रिय हैं।

(ii) अक्तूबर, 2007 से मार्च, 2008 तक असम में हुई हिंसा की 192 घटनाओं में भूमिगत गुटों द्वारा 20 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 101 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।

(iii) उपर्युक्त उल्लिखित गुटों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा इनमें से अधिकांश गुट आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक, प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में लिप्त हैं।

(iv) असम से लगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि. मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विशेष रूप से तीरप, चांगलोंग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग तथा निचले दिबांग घाटी जिलों में विभिन्न उग्रवादी संगठनों तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी जबरन धन-वसूली में लिप्त हैं।

(v) यद्यपि सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए विद्रोह विरोधी अभियान के कारण मेघालय में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु असम की सीमा से लगे मेघालय राज्य की 20 कि. मी.

चौड़ी पट्टी का भूमिगत गुटों द्वारा पड़ौसी देशों से/को घुसपैठ/बाहर जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि असम की सीमा पर जब कभी विद्रोह विरोधी अभियानों को तीव्र किया जाता है तो विद्रोही गुट गारो पहाड़ियों में चले जाते हैं जहां उनके आश्रय स्थल हैं।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4-11-2008 तक 'अशान्त क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

वी. एन. गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2008

S.O. 1082(E).— Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916 (E) dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh, and Meghalaya bordering Assam indicates the following:

(i) The law and order situation in the State of Assam has remained vitiated mainly due to large number of violent activities of the United Liberation Front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits namely National Democratic Front of Boroland (NDFB), Karbi Longri NC Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and Dima Halam Daogah (DHD) are also active in the State of Assam.

(ii) During October 07 to March 08 as many as 101 persons including 20 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 192 incidents of violence in Assam.

(iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and most of them indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from people.

(iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh bordering Assam continue to witness deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations and Security Forces, particularly in the districts of Tirap, Changlong, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to be involved in extortion activities in Assam-Arunachal Pradesh border areas.

(v) Though the security situation in Meghalaya has shown improvement due to counter insurgency operation by the security forces the 20 Kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam continue to be used by Under Ground outfits as an infiltration/exfiltration routes from/to neighbouring countries and for smuggling of arms and ammunition to Assam via Garo Hills. It has also been noticed that whenever Counter Insurgency operations are intensified on the Assam border, the insurgents retreat to the Garo Hills where they have shelters.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4-11-.2008 unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/38/98-NE.-IV]

V. N. GAUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1545] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2008/कार्तिक 13, 1930
No. 1545] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2008/KARTIKA 13, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का.आ. 2594(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

i) असम में, कानून एव व्यवस्था की स्थिति यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा की गई अनेक हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है। अन्य विद्रोही संगठन जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एन डी एफ बी), यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सोलिडैरिटी (यू पी डी एस) कार्बी लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), जो पूर्व

में यू पी डी एस-वार्ता विरोधी गुट के नाम से जाना जाता था, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह के दोनों गुट - (डी एच डी एवं डी एच डी/जे) भी असम राज्य में हिंसा में काफी हद तक संलिप्त रहे हैं।

ii) अप्रैल, 2008 से 15 अक्तूबर, 2008 के दौरान असम में हुई हिंसा की 168 घटनाओं में भूमिगत संगठनों द्वारा 04 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 84 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।

iii) इन सभी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।

iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलैण्ड, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचले दिबांग घाटी जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सक्रिय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। एन एस सी एन के गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं। एन एस सी एन-आईएम यह दावा करता है कि इन इलाकों के लोग तथा क्षेत्र उसके प्रस्तावित 'वृहद् नागालिम' का हिस्सा हैं। इसी प्रकार, एन एस सी एन-के, चांगलांग जिला की सीमा से लगे असम के कतिपय भागों को अपने प्रभाव का क्षेत्र होने का दावा करता है। इन संगठनों द्वारा जबरन धन वसूली हेतु बनाए गए लक्ष्यों में व्यापारिक समुदाय, स्थानीय लोग, सरकारी पदाधिकारी तथा क्षेत्र में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं।

v) सुरक्षा बलों द्वारा की गई सतत् कार्रवाई के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। तथापि, असम की सीमा से सटी 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में भूमिगत संगठन सक्रिय बने हुए हैं। इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जानकारी हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.5.2009 तक 'अशांत क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एनई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 2594(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas failing within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in Assam has continued to remain grim due to a large number of violent incidents by United Liberation Front of Asom (ULFA). Other insurgent outfits like National Democratic Front of Boroland (NDFB), United Peoples'

Democratic Solidarity (UPDS) Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front (KLNLF), earlier known as UPDS - anti talk faction), Kuki Revolutionary Army (KRA) and the two factions of Dima Halam Daogah - (DHD & DHD/J) were also involved in violence to some extent in the State of Assam.

ii) During April 2008 to 15th October 2008, 84 persons including 04 Security Forces Personnel were killed by the Under Ground outfits in 168 incidents of violence in Assam.

iii) All these outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and to extort money from the people.

iv) The areas falling In the 20 Kms wide belt inside Arunanchal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The NSCN factions are involved in extortion activities in the Assam-Arunachal border areas. The NSCN-IM claims the people and territory of these areas as part of its proposed 'Greater Nagalim'. Similarly, NSCN-K claims certain parts of Assam bordering Changlang district as its sphere of influence. The targets of extortion by the outfits include the business community, local people, government officials and also PSU operating in the area.

v) The current security and law & order scenario in Megahalaya has shown improvement due to sustained operations by the Security

Forces. However, Under Ground Outfits continue to be active in the 20 km wide belt bordering Assam. The region is used as an infiltration/exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms / ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/hideouts and trans-shipment of arms/ammunition /explosive consignment.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.5.2009 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2009/वैशाख 14, 1931

No. 700] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2009/VAISAKHA 14, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2009

का.आ. 1146(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

i) असम राज्य में, कानून एव व्यवस्था की स्थिति यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा की गई अनेक हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है। अन्य उग्रवादी संगठन जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एन डी एफ बी), वार्ता विरोधी गुट कार्बी

लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह का एक गुट - (डी एच डी/जे) भी असम राज्य में हिंसा में काफी हद तक संलिप्त रहे हैं।

ii) सम्पूर्ण असम आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। अक्तूबर, 2008 से मार्च, 2009 के बीच असम में हुई हिंसा की 156 घटनाओं में भूमिगत संगठनों द्वारा 11 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 160 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।

iii) उपर्युक्त संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।

iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलैण्ड, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सक्रिय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारी समुदाय, स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं। लोहित, निचली दिबांग घाटी, पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिले तथा पेपम्पेयर की निचली पहाड़ियाँ उल्फा उग्रवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल हैं क्योंकि इन जिलों में उन्होंने अपने छिपने के ठिकाने बनाए हुए हैं।

v) मुख्यतया आचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ 'अभियानों के निलंबन' (एस ओ ओ) तथा हिन्नीविट्रप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी) भूमिगत संगठनों के निष्प्रभावन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/ गोलाबारूद/विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.11.2009 तक 'अशांत क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2009

S.O. 1146(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam has continued to remain grim due to a large number of violent incidents by United Liberation Front of Asom (ULFA). Other militant outfits like National Democratic Front of Boroland (NDFB) anti-talk faction, United Peoples' Democratic Solidarity (UPDS) Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and a faction of Dima Halam Daogah - (DHD/J) were also involved in violence to some extent in the State of Assam.

ii) The whole of Assam is affected by terrorist activities. Between October 2008 to March 2009, as many as 160 persons, including 11 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 156 incidents of violence in Assam.

iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extortion from the people.

iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and west Siang and Lower Dibang Valley districts. The National Socialist Council of Nagaland (NSCN) factions are involved in extortion from business community, local people and Government officials in the Assam-Arunachal border areas. The districts of Lohit, Lower Dibang Valley, East and West Siang and the foothills of papumpare act as a safe haven for ULFA militants as they have established hideouts in these districts.

v) The current security and law & order scenario in Meghalaya has shown an improvement mainly owing to Suspension of Operation (SoO) against cadres of Achik National Volunteer Council (ANVC) and the success of the Security Forces in neutralizing the cadres of Hynniewyterp National Liberation Council (HNLC). The region is used as an infiltration/ exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms/ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/ hideouts and trans-shipmen to farms/ ammunition/ explosive consignments.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.11.2009 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1816] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2009/कार्तिक 13, 1931

No. 1816] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2009/KARTIKA 13, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2009

का.आ. 2824(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था ।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था ।

और यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था ।

और यतः, असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :—

(i) असम राज्य में, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भूमिगत संगठनों द्वारा की गई हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है ।

(ii) अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2009 की अवधि के दौरान ये भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 225 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 18 सुरक्षा कार्मिकों सहित 88 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

(iii) उपर्युक्त संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं ।

(iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सक्रिय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के गुट असम-अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जबरन धन वसूली की गतिविधियों में भी संलिप्त हैं । इन संगठनों द्वारा जिनको जबरन धन वसूली का लक्ष्य बनाया जाता है उनमें व्यावसायिक वर्ग, स्थानीय लोग, सरकारी कर्मचारी तथा इस क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं । उल्फा काडर म्यांमार में अपने शिविरों में पहुंचने के लिए भी चांगलांग और लोहित जिलों का प्रयोग करते आ रहे हैं । उल्फा काडरों के अरुणाचल प्रदेश के लोहित, निचली दिबांग घाटी, पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिलों में छिपने के अड्डे हैं ।

(v) मुख्यतया अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ अभियानों के निलंबन (एस ओ ओ) तथा हिन्नीविटर्प

नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी) भूमिगत संगठनों के निष्प्रभावन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है । इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारों हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है । यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/ विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है ।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरूणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए ।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2009

S.O. 2824(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 vide Notification SO 916(E) dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to remain grim due to violent incidents by Under Ground Outfits.

(ii) During April 2009 to September 2009, the Under Ground Outfits were involved in 225 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 88 persons including 18 security personnel.

(iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.

(iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The National Socialist Council of Nagaland (NSCN) factions are also involved in extortion activities in the Assam-Arunachal border areas. The targets of extortion by the outfits include the business community, local people, government officials and also PSUs operating in the area. ULFA cadres have also been using Changlang and Lohit districts to reach their camps in Myanmar. ULFA cadres have hideouts in the districts of Lohit, Lower Dibang Valley, East and West Siang of Arunachal Pradesh.

(v) The current security and law & order scenario in Meghalaya has shown some improvement mainly owing to Suspension of Operation (SoO) against cadres of Achik National Volunteer Council (ANVC) and the success of the Security Forces in neutralizing the cadres of Hynniewyterp National Liberation Council (HNLC). The region is used as an infiltration/ exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms/ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/hideouts and trans-shipment to arms/ammunition/explosive consignments.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2287] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2010/कार्तिक 12, 1932

No. 2287] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010/KARTIKA 12, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

का.आ. 2707(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था ।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पटटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था ।

और यतः, इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पटटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया था ।

और यतः, असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पटटी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की आने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है ।

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 196 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 12 सुरक्षा कर्मियों सहित 41 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं ।

(iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पटटी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है । अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों की भरमार रही है । उग्रवादियों द्वारा सीमावर्ती गांवों में जबरन धन वसूली की गतिविधियां चलाया जाना जारी है । ब्लॉक-1 क्षेत्र (असम मेघालय सीमा पर विवादित क्षेत्र/जैतिया हिल्स जिला) में सक्रिय यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सौलिडेरिटी (यू पी डी एस) के उग्रवादी नार और नेपाली आधिपत्य वाले गांवों अर्थात् नॉनग्रोंग मिन्जू, अम्बासू, सार, मोल्लाबेर, मूरप आदि (सभी नार गांव) से तथा कोलालफंग और मोजोंग (नेपाली गांव) से कथित रूप से आवास कर की मांग भी करते रहे हैं । छोटे किसानों से भी उनके कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि की जबरन वसूली की जा रही है ।

अत: अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पटटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए ।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2010

S.O. 2707(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

(ii) During the period January to September 2010, the Under Ground Outfits were involved in 196 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 41 persons including 12 security personnel.

(iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.

(iv) The areas falling in the 20 kms. wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The bordering areas of Assam with Arunachal Pradesh and Meghalaya have remained infested with by militant activities. Militants continue to carry out extortion activities in the bordering villages United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) militants (a Karbi Anglong/Assan based militant outfit), operating in Blok-1 area (disputed area in Assam-Meghalaya border/ Jaintia Hills district) have also been reportedly demanding house-tax from Pnar and Nepali dominated villages viz. Nongrong, Mynju, Umbasoo, Psiar, Mollaber, Murap etc. (all Pnar villages) and Kolalaphang and Mojong (Nepali villages), Petty farmers are also being extorted of the sale proceeds of agricultural products.

Now, therefore, the entire State of Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/9-NE-IV]

SHAMBHU SINGI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2092] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2011/कार्तिक 13, 1933
No. 2092] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2011/KARTIKA 13, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2011

का.आ. 2506(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और: यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी.चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरूणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी.चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवथा की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया था।

और यत: असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

ii) जनवरी से सितम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 111 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 14 सुरक्षा कार्मिकों सहित 29 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।

iv) अरूणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी जिलों में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। अरूणाचल प्रदेश और मेघालय से लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों की भरमार रही है। उग्रवादियों द्वारा सीमावर्ती गांवों में जबरन धन वसूली संबंधी गतिविधियां चलाया जाना जारी है। वर्ष 2011 के दौरान, अरूणाचल प्रदेश के संदिग्ध भूमिगत संगठन नेशनल लिब्रेशन काउंसिल ऑफ तानिलैण्ड (एन एल सी टी) को रामघाट (अरूणाचल प्रदेश), नागाबिल, गोसाला, उत्तर दारीबिल (सभी पुलिस थाना हेलेम, जिला सोनितपुर के अंतर्गत) में एन डी एच बी की सहायता से जबरन धन वसूली संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। निचले असम में सक्रिय उल्फा (ए टी) के काडर मेघालय के गारो हिल्स जिलों में शरण ले रहे हैं। गारो नेशनल लिब्रेशन आर्मी (जी एन एल ए) द्वारा मेघालय के गारो हिल्स जिलों की सीमा के निकट, बंगलादेश में सुरक्षित आश्रय/आधार स्थापित करने में उल्फा की मदद किए जाने की भी सूचना मिली है। मेघालय में, एन डी एफ बी (ए टी) ने जी एन एल ए के साथ भी सम्पर्क बनाए हैं तथा दोनों गुटों के काडर संयुक्त रूप से सक्रिय बताए जाते हैं।

अत: अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2011

S.O. 2506(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

IndiaCode

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

ii) During the period January to September 2011, the Under Ground Outfits were involved in 111 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 29 persons including 14 security personnel.

iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.

iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and west Siang and Lower Dibang Valley districts.The

bordering areas of Assam with Arunachal Pradesh and Meghalaya have remained infested with by militant activities. Militants continue to carry out extortion activities in the bordering villages. During the year 2011, suspected National Liberation Council of Taniland(NLCT) UGs of Arunachal Pradesh was found involved in extortion activities in Ramghat (Arunachal Pradesh), Nagabil, Gosala, Uttar Daribil (all under PS Helem, District Sonitpur) with the help of NDHB. ULFA(AT) cadres operating in Lower Assam are taking shelter in Garo Hills Districts of Meghalaya. The Garo National Liberation Army (GNLA) is also reported to be facilitating the ULFA(AT) in establishing safe shelter/base in Bangladesh, bordering the Garo Hills Districts of Meghalaya. In Meghaqlaya, the NDFB (AT) has also established links with the GNLA and cadres of both the outfitys are known to operate jointly

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2222] नई दिल्ली, रविवार, नवम्बर 4, 2012/कार्तिक 13, 1934

No. 2222] NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 4, 2012/KARTIKA 13, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2012

का.आ. 2674(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विक्षुब्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौडी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विक्षुब्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया था।

और यतः असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 120 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।

(iv) अरुणाचल प्रदेश के भीतर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, अर्थात अरुणाचल प्रदेश के लोहित, चांगलांग तथा तीरप जिलों, जिन्हें यह गुट म्यांमार में स्थित बेस कैम्पों में जाने तथा वहां से आने के लिए घुसपैठ करने और असम में विद्रोह-रोधी कार्रवाई से बचकर भाग निकलने के लिए अस्थाई ट्रांजिट कैम्पों तथा शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल करता है, में यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असोम (उल्फा) की मौजूदगी देखी गई है।

(v) हाल ही में, यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असोम (वार्ता-विरोध) [उल्फा (ए टी)] गुट तथा यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यू पी डी एफ)- अरुणाचल आधारित एक नवजात गुट के बीच अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ असम में संयुक्त रूप से अभियान चलाने हेतु एक ऑपरेशनल गठजोड़ उभरा है।

(vi) गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) तथा कारबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (के पी एल टी) जैसे भूमिगत गुटों द्वारा मेघालय के साथ लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी एन एल ए, विशेषकर पश्चिम खासी हिल्स जिले में, उल्फा (ए टी) को बंगलादेश, मेघालय के सीमावर्ती गारो हिल्स जिलों में सुरक्षित पनाह देने/बेस की स्थापना करने में मदद कर रहा है।

अतः अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विक्षुब्ध क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन. ई. IV]

डॉ. एम. सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2012

S.O. 2674(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

ii) During the period January to September 2012, the Under Ground Outfits were involved in 120 incidents of violence in Assam which resulted in killing of 19 persons including 3 security personnel.

iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturbed the administrative system and extort from the people.

iv) The areas falling in the 20 kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed the presence of United Liberation Front of Asom (ULFA) in Lohit, Changlang and Tirap Districts of Arunachal Pradesh which the outfit uses for infiltration from/exfiltration in-to its base camps in Myanmar and for temporary transit camps and shelter while on move to escape Counter Insurgency operation in Assam.

v) Recently, an operational alliance has emerged between United Liberation Front of Asom (Anti-Talk) [ULFA (AT)] faction and United People's Democratic Front (UPDF), an Arunachal based nascent outfit to operate jointly in Arunachal Pradesh as well as in Assam.

vi) The bordering areas of Assam with Meghalaya are being used by Under Ground outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Karbi People's Liberation Tigers (KPLT). The GNLA, particularly in West Khasi Hills District, is facilitating the ULFA (AT) in establishing safe shelter/base in Bangladesh, bordering the Garo Hills Districts of Meghalaya.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) upto one year beyond 3.11.2012, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE. IV]

Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2549] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2013/कार्तिक 13, 1935
No. 2549] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2013/KARTIKA 13, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2013

का.आ. 3321(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से अगस्त, 2013 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 127 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 2 सुरक्षा कार्मिकों सहित 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;

(iv) असम तथा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की मौजूदगी देखी गई है और इसलिए असम के गोलाघाट, धेमाजी, लखीमपुर तथा तिनसुकिया जिलों और अरुणाचल प्रदेश में लोहित जिले के नामसाई क्षेत्र में उनकी गतिविधियों की सूचना दी गई थी;

(v) अरुणाचल प्रदेश में, उल्फा (स्वतंत्र) के काडर म्यांमार, जहां इस गुट के आधार शिविर स्थित हैं, से घुसपैठ करके आने और वापिस जाने के लिए लोहित, चांगलांग तथा तीरप जिलों का प्रयोग करते हैं। यह गुट असम में विद्रोह-रोधी कार्रवाई से बचकर भाग निकलने के लिए भी अस्थाई ट्रांजिट कैम्पों के लिए व्यापक रूप से इन क्षेत्रों का इस्तेमाल करता है;

(vi) गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) तथा अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल जो ए एन वी सी (बी) से अलग हुआ एक गुट है, जैसे भूमिगत गुटों द्वारा मेघालय के साथ लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी एन एल ए द्वारा विशेषकर वेस्ट खासी हिल्स जिले में, उल्फा (आई) को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित पनाह, ठिकाना बनाने में मदद किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

अतः, अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत 3.11.2013 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2013

S.O. 3321(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990.

IndiaCode

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas a further review of the Law and order situation in Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

(i) The Law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits;

(ii) During the period January to August 2013, the Under Ground Outfits were involved in 127 incidents of violence in Assam which resulted in killing of 11 persons including 2 security personnel;

(iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people;

(iv) Maoist presence in Assam and border areas of Arunachal Pradesh have been noticed and hence their activities were noticed in Golaghat, Dhemaji, Lakhimpur and Tinsukia districts of Assam and Namsai area of Lohit district in Arunachal Pradesh;

(v) In Arunachal Pradesh, the ULFA (Independent) cadres use Lohit, Changlang and Tirap districts for infiltration and exfiltration to Mayanmar where the base camps of the outfit are located. The outfit uses these areas extensively for temporary transit camps while on move as also to escape counter insurgency operations in Assam.

(vi) The bordering areas of Assam with Meghalaya are being used by UG outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Achik National Volunteer Council a breakaway faction of ANVC(B). The GNLA, particularly in West Khasi Hills District, is reported to be facilitating the ULFA (I) in establishing safe shelter, base in the bordering areas.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms. belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) up to one year beyond 3.11.2013, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-V]
SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2248] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2014/कार्तिक 13, 1936
No. 2248] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2014/KARTIKA 13, 1936

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2014

का.आ. 2818 (अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 174 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 4 सुरक्षा कार्मिकों सहित 89 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 147 घटनाओं में 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;

(iv) एन डी एफ बी (सोंगबिजीत) सर्वाधिक शक्तिशाली एवं घातक विद्रोही समूह के रूप में उभरा है और चालू वर्ष के दौरान, 30 सितम्बर तक 53% घटनाओं, 85% हत्या एवं 51% अपहरण के मामलों में इसका हाथ है;

(v) म्यांमार में उल्फा (स्वतंत्र) का शीर्ष नेतृत्व अपनी उपस्थिति का दावा प्रस्तुत करने और जबरन धन वसूली को सुगम बनाने के लिए भय फैलाने की दृष्टि से असम के विभिन्न भागों में प्रदर्शनात्मक हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के लिए असम में काडरों का घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रहा है;

(vi) असम-मेघालय सीमा, असम-अरुणाचल सीमा एवं असम-नागालैंड सीमा पर गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (जी एन एल ए) एवं कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स (के पी एल टी), यूनाइटेड अचिक लिबरेशन आर्मी (यू ए एल ए), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (स्वतंत्र), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (सोंगबिजीत), एन एस सी एन (आई/एम) तथा एन एस सी एन (के) जैसे भूमिगत संगठन द्वारा असम के सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग किया जा रहा है।

अत:, अब सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 (1958 का 28) के अंतर्गत 3.11.2014 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.IV]
दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2014

S. O. 2818(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification S.O. 916(E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

ii) During the period January to September 2014, the Under Ground Outfits were involved in 174 incidents of violence in Assam which resulted in the killing of 89 persons, including 4 security personnel, compared to the killing of 13 persons including 3 security personnel 147 incidents during the corresponding period of the last year.

iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from the people.

iv) The NDFB(Songbijit) has emerged as the most potent and lethal insurgent group sharing 53% of incidents, 85% of killing and 51% of abduction during the current year upto 30th September.

v) The top leadership of ULFA(I) stationed in Myanmar is making efforts to infiltrate cadres in to Assam to carry out demonstrative acts of violence in different parts of Assam with a view to assert its presence and spread fear psychosis to facilitate extortion.

vi) The bordering areas of the Assam are being used by UG outfits like Garo National Liberation Army (GNLA) and Karbi People's Liberation Tigers (KPLT), United Achik Liberation Army (UALA), United Liberation Front of Asom (Independent), National Democratic Front of Bodoland(Songbijit) NSCN(I/M) and NSCN(K) at Assam-Meghalaya border, Assam-Arunachal border and Assam-Nagaland border.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year beyond 3.11.2014, unless withdrawn earlier.

[F.No. 11011/38/98-NE-IV]
DILIP KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2404] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/कार्तिक 13, 1937
No. 2404] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

का.आ. 3010(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम और असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 66 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं;

(iv) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया (यू एन एल एफ डब्ल्यू) का गठन अप्रैल, 2015 में किया गया है, और इसके दो घटक अर्थात उल्फा (आई) और एन डी एफ बी (एस) अपनी मारक क्षमता दिखाने के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं तथा वे राज्य में संयुक्त प्रचालनों पर विचार कर रहे हैं;

(v) म्यांमार में आई आई जी शिविरों में अपने काडरों की वित्तीय एवं अन्य संभारतंत्र सहायता प्रदान करके नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) एन एस सी एन (के) और उल्फा (आई), एन डी एफ बी (एस) तथा यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (यू पी एल एफ) के बीच बढ़ता संबंध चिंताजनक प्रगति के रूप में देखा जाता है;

(vi) अंतर राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों, जो विरल रूप से बसे हैं और जहां कठिन एवं घने वन एवं पर्वतीय भू-भाग का विशाल क्षेत्र है, में उल्फा (आई), एन डी एफ बी (एस), यू पी एल एफ, जी एन एल ए, के पी एल टी, यू ए एल ए, एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), एन एल सी टी एवं और ए ए एन एल ए सहित विभिन्न विद्रोही समूहों रहते हैं।

अब, अत: सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 3.11.2015 के बाद एक वर्ष तक 'अशांत क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न किया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFARIS

NOTIFICTION

New Delhi, the 4th November, 2015

S.O. 3010(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 *vide* Notification SO 916(E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam indicate the following:—

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits;

(ii) During the period January to September 2015, the Under Ground Outfits were involved in 66 incidents of violence in Assam which resulted in the killing of 7 persons;

(iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort money from the people;

(iv) United National Liberation Front of Western South East Asia (UNLFW) has been formed in April, 2015, and two of its constituents viz ULFA(I) and NDFB(S) have been desperately

making efforts to exhibit their striking capabilities and are contemplating joint operations in the state;

(v) The growing association of National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) NSCN(K) with ULFA(I), NDFB(S) and United Peoples Liberation Front (UPLF) by providing financial and other logistic support to their cadres in the IIG camps in Myanmar, is noted as disturbing development;

(vi) The inter-state boundary areas, sparsely populated with large stretches of difficult and densely forested hilly terrain accommodate various insurgent groups including ULFA(I), NDFB(S), UPLF, GNLA, KPLT,UALA,NSCN(I/M), NSCN(K), NLCT and AANLA.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year beyond 3.11.2015, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2628] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938
No. 2628] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3382(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम और असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत गुटों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) जनवरी से सितम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, भूमिगत गुट असम में हिंसा की 66 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप एक सुरक्षा बल कार्मिक सहित 29 व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी गुटों ने दोबारा समूह बनाने, पुन: सशक्त होने और राज्य में नए काडरों की भर्ती/घुसपैठ करने के अपने प्रयासों को तेज करने का लगातार प्रयत्न किया है तथा व्यावसायियों, सरकारी कर्मचारियों एवं राजनेताओं को निशाना बनाते हुए जबरन धन वसूली कर रहे हैं;

(iv) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया (यू एन एल एफ डब्ल्यू) का गठन अप्रैल, 2015 में किया गया है, और इसके दो घटक अर्थात् उल्फा (आई) और एन डी एफ बी (एस) हिंसा के प्रदर्शनात्मक कृत्यों को अंजाम देने के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य में 57 प्रतिशत हिंसक घटनाओं एवं 84 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार रहे हैं;

(v) एनडीएफबी (एस) आतंकवादियों ने दिनांक 5.8.2016 को कोकराझार शहर के बाहरी क्षेत्रों में व्यस्त स्थानीय बाजार में 14 आम नागरिकों को मार दिया एवं 19 अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। उल्फा (आई) काडरों ने भी तिनसुकिया जिले में हिंदी भाषी 2 व्यक्तियों को मार दिया एवं दिनांक 12.08.2016 को तिनसुकिया एवं चरईदेव जिलों में क्रमश: 5 एवं 2 आई ई डी क्रूड बम विस्फोट कराया;

(vi) उल्फा (आई) अरुणाचल प्रदेश- म्यांमार सीमा पर एनएससीएन (के) और केवाईकेएल तथा मेघालय-बांग्लादेश सीमा पर जीएनएलए एवं एचएनएलसी सहित अन्य भूमिगत गुटों के साथ संयुक्त कार्रवाई का समन्वय कर रहा है तथा म्यांमार में अपने शिविरों में केपीएलटी/यूपीएलए के काडरों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है;

(vii) कार्बी उग्रवादी गुट अर्थात् यूपीएलए, यूकेपीएलए और केपीएलटी के विभिन्न गुट कार्बी आंगलांग एवं दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों में जबरन धनवसूली एवं फिरौती के लिए अपहरणों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं; तथा

(viii) असम राज्य के पहाड़ी और घने वन वाले सीमावर्ती क्षेत्र, उल्फा (आई), एनडीएफबी (एस), एनएससीएन (आई एम), एनएससीएन (के), जीएनएलएकेपीएलटी तथा कई मैतई भूमिगत गुटों के लिए शिविरों/आश्रय स्थलों/छिपने के ठिकानों के लिए उपयुक्त अवस्थान प्रदान करते हैं तथा इसका लाभ उठाकर इन गुटों के काडर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 3.11.2016 के बाद छह माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2016

S.O. 3382(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification S.O. 916(E), dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam indicate the following:-

(i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits;

(ii) During the period January to September 2016, the Under Ground Outfits were involved in 66 incidents of violence in Assam which resulted in the killing of 29 persons including 1 Security Forces personnel;

(iii) The militant outfits operating in the area continue to have been making constant efforts to regroup, re-strengthen and intensified their efforts for recruitment/infiltration of new cadres into the State and indulging in coercive extortion targeting businessmen, tea garden owners, contractors, commercial vehicles, timber smugglers, transporters and even Government officials and politicians;

(iv) United National Liberation Front of Western South East Asia (UNLFW) has been formed in April, 2015, and two of its constituents viz ULFA(I) and NDFB(S) have been desperately making efforts to perpetrate demonstrative acts of violence and during the current year they have been responsible for 57% of the incidents of violence and 84% of the deaths in the State;

(v) NDFB (S) militants shot dead 14 civilians and injured 19 others in a busy local market on the outskirts of Kokrajhar town on 5.8.2016. ULFA(I) cadres also shot dead 2 Hindi speaking persons in Tinsukia district and orchestrated 5 and 2, IED crude bomb explosions in Tinsukia and Charaideo districts respectively on 12.08.2016;

(vi) ULFA(I) is coordinating joint action with other UG outfits, including NSCN(K) and KYKL along Arunachal Pradesh-Myanmar border and with GNLA and HNLC along Meghalaya-Bangladesh border also providing training to cadres of KPLT/UPLA in its camps in Myanmar;

(vii) Karbi militant outfits viz. UPLA, UKPLA and various factions of KPLT have been actively involved in extortions and abductions for ransom in the hill districts of Karbi Anglong and Dima Hasao; and

(viii) The hilly and densely forested border areas of the State of Assam provide an apt location for camps/shelters/hideouts to ULFA(I), NDFB(S), NSCN(IM), NSCN(K), GNLA KPLT and several Meitei UG outfits and cadres of these outfits take advantage of crossing over to neighbouring States in order to evade Security Forces actions.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months beyond 3.11.2016, unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/38/98-NE-IV]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.05 12:03:24 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
No. 1240] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

का.आ. 1403(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा, कि असम राज्य और असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

और यत: असम और असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से यह पता चलता है कि:—

i) उल्फा (आई), एनडीएफबी (एस), के एल ओ, के पी एल टी सहित इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिगत गुटों के युद्धप्रिय स्वभाव के कारण असम में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;

ii) असम में वर्ष 2016 के दौरान हिंसा की 75 घटनाओं में फिरौती के लिए 14 व्यक्तियों के अपहरण के अतिरिक्त 4 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 33 व्यक्तियों की हत्या की गई और वर्ष 2017 में (28.02.2017 तक) असम में हिंसा की 9 घटनाओं में 2 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 4 व्यक्तियों की हत्या की गई;

iii) असम में वर्ष 2016 के दौरान उल्फा हिंसा की 22 घटनाओं में शामिल था जिनमें 4 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 13 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 10 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 56 व्यक्तियों को चोटें आईं जबकि चालू वर्ष में 28.02.2017 तक इस संगठन ने हिंसा की 9 घटनाओं को अंजाम दिया है जिनमें 2 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 4 व्यक्तियों की मौत हो गई;

iv) उल्फा (आई) के अनेक सशस्त्र मॉड्यूल्स या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा एनएससीएन (के) और कॉरकॉम के साथ मिलकर असम में अनेक स्थानों पर, विशेष रूप से लांगडिंग, तीरप और चांगलांग जिलों में असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के अतिरिक्त उदलगिरि-दारंग, सोनितपुर-लखीमपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय हैं;

v) स्वयं-भू सी एस द्रष्टि राजखोवा की कमान में उल्फा (आई) की एक टुकड़ी गोलपाड़ा और धुबरी जिलों में असम-मेघालय सीमा पर सक्रिय है;

vi) एनडीएफबी ने कोकराझार, चिरांग, उदलगिरि और सोनितपुर जिलों के क्षेत्रों में जबरन धन वसूली की अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वर्ष 2016 के दौरान, यह संगठन हिंसा की 19 घटनाओं में शामिल था जिनमें 16 व्यक्तियों की मौत हुई;

vii) अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के साथ लगी असम की अन्तर-राज्य सीमाओं का अभी भी सभी प्रकार के भूमिगत काडरों द्वारा छिपने के अड्डों तथा आने-जाने के कॉरीडोर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है; और

viii) चूंकि असम-मेघालय सीमा पहाड़ी है तथा यहां घने जंगल हैं, इसलिए यहां द्रष्टि राजखोवा की कमान में उल्फा (आई) की टुकिड़यों सहित भूमिगत गुटों की गतिविधियां चलती रहती हैं, गारो हिल्स में गारो नेशनल लिब्रेशन आर्मी सक्रिय है तथा खासी हिल्स, मेघालय में हन्नीवट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउन्सिल सक्रिय है।

अत:, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 03.05.2017 के बाद तीन महीने तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई- IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

S.O. 1403(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification S.O. 916(E), dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and the 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering Assam indicate the following:—

(i) The security situation in Assam continues to remain vitiated due to the belligerent attitude of the UG groups active in the region including ULFA (I), NDFB (S), KLO, KPLT;

(ii) During the year of 2016 in Assam 33 persons including 4 security force personnel were killed besides abduction of 14 persons for ransom in 75 incidents of violence and 4 persons including 2 security force personnel have been killed in the year 2017 in 9 incidents of violence in Assam (up to 28.2.2017);

(iii) In Assam ULFA(I) involved in 22 incidents of violence resulting in death of 13 persons including 4 security force personnel and injuries to 56 persons including 10 security force personnel during the year 2016 while in the current year up to 28.2.2017 the outfit has perpetrated 9 incidents of violence in which 4 persons including 2 security force personnel have been killed;

(iv) Several armed modules of ULFA(I), either individually or jointly with NSCN(K) and CorCom, are active in several locations in Assam, particularly bordering areas of Udalguri-Darrang, Sonitpur-Lakimpur besides Assam-Arunachal Pradesh boundary in Longding, Tirap and Changlang districts;

(v) A detachment of ULFA(I) under the command of Dristi Rajkhowa, self-styled CS, is operating along the Assam-Meghalaya boundary across Goalpara and Dhubri districts;

(vi) NDFB(S) has intensified its extortion activities in areas of Kokrajhar, Chirang, Udalguri and Sonitpur districts. During the year 2016 the outfit was involved in 19 incidents of violence resulting in death of 16 persons;

(vii) The inter-State boundaries of Assam with Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya continue to be used as hideouts and corridors for movement by UG cadres of all hues; and

(viii) Assam-Meghalaya boundary, being hilly and densely forested, remains infested by UG activities including the detachments of ULFA(I) under the command of Dristi Rajkhowa, Garo National Liberation Army active in the Garo Hills, and Hynniewtrep National Liberation Council active in Khasi Hills, Meghalaya.

Now, therefore, the entire State of Assam and the 20 kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to three months beyond 03.05.2017, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.05 15:19:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2167] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939
No. 2167] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

का.आ. 2467 (अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटी मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 04.05.2017 की अधिसूचना का.आ. 1403 (अ) के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा, कि असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

अत:, अब, असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 03.08.2017 के बाद 30.09.2017 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा.सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2017

S.O. 2467(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification SO 1403(E) dated 04.05.2017.

And whereas the declaration that the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

Now, therefore, the 20 kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 30.09.2017 beyond 03.08.2017, unless withdrawn earlier.

[F.No.11011/38/98-NE-IV]
SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.05 13:06:41 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2808] नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 1, 2017/आश्विन 9, 1939
No. 2808] NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 1, 2017/ASVINA 9, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3209(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के भीतर आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 04.08.2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2467 (अ) के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था ।

और यत: असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है ।

इसलिए, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिए, जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप घोषित असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की बीस कि.मी. चौड़ी पट्टी को घटाकर दस कि.मी. चौड़ी पट्टी कर दिया गया है ।

[फा. सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2017

S.O. 3209(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification SO 2467(E), dated 04.08.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam, has been undertaken.

Now, therefore, the twenty kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam is reduced to ten kms belt as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2018 w.e.f. 01.10.2017, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

5966 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.10.01 16:20:53 +05'30'